



JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

NO. JDA/E.E.(PHE-II)/2021/D-379

Dated :- 22.09.2021.

Corrigendum

Sub.:- Corrigendum and extension of submission date for the work of "Sewerage and water supply work for rehabilitation scheme at Niwaru road Jhotwara".

NIT NO EE PHE-II/06/2021-22

S. No.	Tender Document Clause/Page	Existing Provisions	Modified Provisions
1	Page No. 13 of Tender Documents, Schedule-H :- Special Condition	"If any bidder quotes a rate below than the schedule "G" rates, i.e. rates below than "at par", then the bidder has to deposit the difference amount i.e. difference amount of the rates as per "at par" and quoted "below", as "Work Performance Guarantee". This amount has to be deposited before the commencement of work and will be refunded after successful completion of work. Lowest bidder will be issued LOA (Letter of Acceptance) and within 14 days period he has to deposit difference amount in the form of B.G/FDR/NSC. The validity of these shall be for a period three months beyond the stipulated date of completion/actual date of completion and shall have to be extended time to time upto actual completion of work as per requirement. In case of non deposition of the same in specified period, the bid security will be forfeited. In case work is not completed satisfactorily, the "Work Performance Guarantee" will be forfeited and other action will be taken as per Contract Agreement."	If any bidder quotes a rate below than the schedule "G" rates, i.e. rates below than "at par", then the bidder has to deposit the difference amount i.e. difference amount of the rates as per "at par" and quoted "below", as "Work Performance Guarantee". This amount has to be deposited before the commencement of work and will be refunded after satisfactory completion of DLP (Defect Liability Period) of work as per UDH, GoR order dated 20.09.2021 (Copy enclosed) . Lowest bidder will be issued LOA (Letter of Acceptance) and within 14 days period he has to deposit difference amount in the form of B.G/FDR/NSC. The validity of B.G./FDR/NSC shall be for a period three months beyond of D.L.P. period of work. In case of non deposition of the same in specified period, the bid security will be forfeited. In case work is not completed satisfactorily, the "Work Performance Guarantee" will be forfeited and other action will be taken as per Contract Agreement."

1. Bid download end date 04.10.2021 upto 6.00 PM
2. Bid submission end date 04.10.2021 upto 6.00 PM
3. Bid Opening date 05.10.2021 at 11.30 AM

Executive Engineer (PHE-II)
JDA, Jaipur

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक:- प.01(24)नविवि/1/2020 लूज

जयपुर, दिनांक:- 20 SEP 2021

आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अर्न्तगत विभिन्न विकास कार्यों की निविदाओं में संवेदकों द्वारा बी.एस.आर. दर से कम दर डालने पर अन्तर राशि (AT PAR की दर से जितनी कम है) वर्क परफोरमेंस गारन्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ली जाएगी तथा इसे कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात दोष निवारण अवधि में कार्य की स्थिति सन्तोषजनक पाए जाने पर, दोषनिवारण अवधि उपरान्त वापस लौटा दिया जावेगा। न्यूनतम दरदाता की बोली नियमानुसार स्वीकृत कर Letter of acceptance (LOA) जारी किया जावेगा एवं बी.एस.आर. दर से कम दर की अन्तर राशि की BG/FDR/NSC प्रस्तुत करने हेतु 14 दिवस का समय दिया जायेगा। अन्तर राशि जमा नहीं कराने पर BID SECURITY की राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावे। यदि संवेदक वर्क परफोरमेंस गारन्टी राशि जमा कराने के पश्चात कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करता है अथवा दोष निवारण अवधि में कार्य में खराबी होती है तो उसकी वर्क परफोरमेंस गारन्टी की राशि जब्त कर ली जावे एवं अनुबन्धानुसार अन्य कार्यवाही भी संपादित की जावे। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है। यह आदेश उन सभी निविदाओं पर लागू होगा जो कि भविष्य में जारी होगी तथा वे निविदाएं जो इस आदेश के जारी होने की दिनांक तक अप्राप्त है, इस सम्बन्ध में निविदा दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन तुरन्त संबन्धित उपापन अधिकारी द्वारा किया जावे एवं नवीन सभी निविदाओं में उक्त शर्तों का समावेश किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(कुन्जीलाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, आबू, बाडमेर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं सवाईमाधोपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
नगरीय विकास विभाग